जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

156
17/8/23

क्रमांकः– जविप्रा / उपा. / जोन–11 / 2023 / डी–2334 दिनांक 17/8/23

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60 मीटर चौड़ी सडक सैक्टर रोड में आ रही भूमि राजस्व ग्राम **रेनवाल** तहसील **माधोराजपुरा** के खसरा नम्बर 1173/1, 1173/2, 1173/3, 1171/1, 1171/2, 1172/1, 1172/2, 1174/2, 1174/3, 1046/2, 1170/1, 1170/2 कुल किता 12 रकबा 23717.33 वर्गमीटर के खातेदार **श्री रामनारायण, रामेश्वर पुत्रान छोटू, जगदीश, मेवाराम, रामअवतार, रामजीलाल, शंकरलाल, सीताराम पुत्रान रामचन्द्र एवं श्रीमती कमला देवी पुत्री रामचन्द्र, कन्हैयालाल, बाबूलाल पुत्रान् रामलाल एवं ज्याना देवी पत्नी रामलाल, सोहन पुत्री रामलाल, लक्ष्मण, श्रवणलाल, हीरालाल, पुत्रान भूरा, श्रीमती गुलाब देवी, गीता देवी, फूला देवी, मन्नी देवी पुत्रियां भूरा, कैलाश चन्द, शैतान सिंह, श्योजीराम, हजारी लाल पुत्रान छगनलाल एवं श्रीमती गोपाली देवी, नाना देवी पुत्रियां छगनलाल** द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत् यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया उपायुक्त जोन–11 के कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटैंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

V-156
17/8/23

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102766 दिनांक: 17/08/2023

लोक सूचना

उत्पल इन्फ्रा प्रोजेक्ट एल एल पी जरिये अधिकृत प्रतिनिधि आशीष कुमार पुत्र श्री गजराज सिंह पंजीकृत कार्यालय 1585/1, लेवल 2 20 मैन रोड 1, सैक्टर एचआरएस लेआउट, बैंगलौर, कर्नाटक ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **मिश्रित** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	मदाऊ सांगानेर (जयपुर)	**उत्पल इन्फ्रा प्रोजेक्ट एल एल पी पंजीकृत कार्यालय 1585/1, लेवल 220 मैन रोड 1, सैक्टर एचआरएस लेआउट, बैंगलौर, कर्नाटक**	729/697	1725	0.1725
				कुल	**0.1725**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **17-08-2023** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन–11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in.

क्रमांकः जविप्रा / उपा. / जोन–14 / 2023 / डी– 2100 दिनांक 17/8/2023

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे / अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना का नाम	सेवा जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	शांति देवी सैनी	श्रीमती शकुन्तला खण्डेलवाल पत्नी श्री दुर्गाप्रसाद खण्डेलवाल	22 व 23	400.00 व.ग.	इन्दिरा विकास गृ.नि.स.स. लि. / श्रवण विहार	फ्री हॉल्ड पट्टा	सदस्यता सूची मे नाम दर्ज नहीं होने के आधार पर

–sd–
उपायुक्त
जोन 14, जविप्रा जयपुर

प्रतिलिपि :–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकशन समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन 14, जविप्रा जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302 004
दुरभाष – +91–141–2574798 : ईपीबीएक्स – +91–141–2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स–+91–141–2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

–निर्णय–

जविप्रा कार्यालय से पत्रांक डी–1135 दिनांक 19.09.2022 फ्री होल्ड पट्टा प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के दौरान लीजधाकर श्रीमती रूपा जैन पत्नी श्री हंसराज जैन के नाम से जोन कार्यालय द्वारा मिथ्या तथ्यों/साक्ष्य प्रस्तुत कर जारी करवाये जाने एवं भूखण्ड के दोहरे आवंटन व आपत्तियों के कारण जविप्रा अधिनियम–1982 की धारा–54 (घ) में प्रदत शक्तियों के कम में श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना सालासार एनक्लेव के भूखण्ड संख्या 182 क्षेत्रफल 288.88 व.ग. श्रीमती रूपा जैन पत्नी श्री हंसराज जैन निवासी 60/162, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर को जारी आवासीय पट्टा विलेख पत्रांक 1135 दिनांक 19.09.2022 आज दिनांक 10.08.23 को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है तथा श्रीमती रूपा जैन को जरिये नोटिस सूचना दी जावे कि जविप्रा द्वारा जारी मूल पट्टा विलेख मूल लीजडीड का अन्यत्र उपयोग न कर इस कार्यालय में जमा करा दे। उभय पक्षकार उक्त भूखण्ड का स्वामित्व का निर्धारण माननीय न्यायालय द्वारा किये जाने के पश्चात चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

उपायुक्त
पृथ्वीराज नगर (दक्षिण–प्रथम),
जविप्रा, जयपुर।

कमांक जविप्रा/उपा./पीआरएन(दक्षिण–प्रथम)/2023/डी–1744 दिनांक: 10/08/23

प्रतिलिपिः–

1. जन संपर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त
पृथ्वीराज नगर (दक्षिण–प्रथम),
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–प्रथम)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020
दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

E:\arvind\LETTER 20223.docx

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

–निर्णय–

कार्यालय द्वारा कमांक 1135 दिनांक 19.09.2022 को प्रशासन शहरों के संग अभियान में महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना सालासर एनक्लेव के भूखण्ड संख्या 182 श्रीमती रूपा जैन पत्नी श्री हंसराज जैन के आवेदन पर दिनांक 13.09.2022 को प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर फ्री होल्ड पट्टा जारी किया गया।

जिसके विरूद्व प्रार्थी श्री मन्नालाल चौधरी द्वारा दिनांक 01.08.2023 को आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमती रूपा जैन के पक्ष में जारी लीजडीड दिनांक 13.09.2022 को निरस्त करने एवं भूखण्ड संख्या 182 सालासर एनक्लेव का सर्वप्रथम आवंटन पत्र सोसायटी द्वारा जरिये आवंटन पत्र दिनांक 15.08.1985 को श्री महेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री हनुमान यादव निवासी– ग्राम सुशीलपुरा, अजमेर रोड, जयपुर को आवंटित किया जाकर भूखण्ड का कब्जा को सुपुर्द किया जाना बताया गया। तत्पश्चात महेन्द्र सिंह यादव द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या 182 सालासर एनक्लेव, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर को जरिये इकरारनामा दिनांक 10.03.2007 रमेश चन्द यादव पुत्र श्री भंवर लाल यादव निवासी पुरानी ढाणी, रामचन्द्रपुरा, अजमेर रोड, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर को विकय किये जाने के पश्चात रमेश चंद यादव द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या 182 को जरिये इकरारनामा दिनांक 18.06.2010 प्रार्थी (आपत्तिकर्ता) श्री मन्नालाल चौधरी को विकय किया गया। आपत्तिकर्ता द्वारा भूखण्ड संख्या 182 सालासर एनक्लेव, गोपालपुरा, बाईपास जयपुर के मूल आवंटन पत्र व रसीद गुम हो जाने के सूचना दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 19.07.2022 को प्रकाशित करवाया जाना एवं कार्यालय में दिनांक 16.05.2022 को आपत्ति प्रस्तुत किये जाने के आधार पर लीजधारक श्रीमती रूपा जैन के पक्ष में जारी लीजडीड दिनांक 19.09.2022 को निरस्त किये जाने बाबत प्रस्तुत की है।

आपत्तिकर्ता के आपत्ति प्रार्थना पत्र पर सुनवाई किये जाने हेतु भूखण्ड का पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भूखण्ड संख्या 182 सालासर एनक्लेव के संबंध में जोन कार्यालय में पत्रावली पर पूर्व में श्रीमती रूपा जैन द्वारा जविप्रा कार्यालय में दिनांक 19.12.2019 को लीजडीड जारी किये जाने हेतु ऑन लाईन आवेदन किया गया है एवं भूखण्ड संख्या 182 सालासर एनक्लेव के संबंध में ही श्री तनवीर खान पुत्र श्री एम.आई. खान निवासी–115, 116 मदीना कॉलोनी, झोटवाडा, जयपुर द्वारा महावीर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना सालासर एनक्लेव के भूखण्ड संख्या 182 की लीजडीड जारी किये जाने एवं आवेदक श्रीमती रूपा जैन पत्नी श्री हंसराज जैन को भूखण्ड की लीजडीड जारी नहीं किये जाने बाबत जोन कर्यालय में आपत्ति प्रस्तुत की गई।

उपायुक्त (प्रवर्तन–प्रथम)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय), ईपीबीएक्स +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

पत्रावली पर उक्त आपत्ति के अनुसार भूखण्ड संख्या 182 सालासर एनक्लेव के दौहरे आवंटन के संबंध में जोन कार्यालय द्वारा आपत्तिकर्ता श्री तनवीर खान को भूखण्ड के मूल दस्तावेज एवं साक्ष्य के साथ कार्यालय में उपस्थित होने बाबत दिनांक 02.09.2020, 05.11.2020 को आवेदक श्रीमती रूपा जैन को दिनांक 05.11.2021 को भूखण्ड के मूल दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने बाबत एवं अध्यक्ष श्री महावीर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. को दिनांक 28.01.2020 एवं 11.09.2020 को भूखण्ड संख्या 182 सालासर एनक्लेव के दौहरे आवंटन की स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु पत्र जारी किया गया।

भूखण्डों के संबंध में सुनवाई के दौरान पक्षकारों के उपस्थित नहीं होने के कारण भूखण्ड संख्या 182 सालासर एनक्लेव की लीजडीड जारी किये जाने के संबंध में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवाई गयी। सूचना प्रकाशन के पश्चात कार्यालय में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त होना नहीं पाया गया।

आपत्तिकर्ता को बार–बार सूचित किये जाने के पश्चात भी आपत्तिकर्ता श्री तनवीर खान के उपस्थित नहीं होने एवं भूखण्ड के दस्तावेज जोन कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये जाने के उपरांत भूखण्ड के दोहरे आवंटन के कारण पत्रावली उप रजिस्ट्रार सहकारिता के समक्ष प्रस्तुत की गई, उप रजिस्ट्रार सहकारिता द्वारा भूखण्ड संख्या 185 सालासर एनक्लेव के आवेदक श्रीमती रूपा जैन को दिनांक 28.01.2021, 30.12.2021 एवं अध्यक्ष श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. को दिनांक 11.02.2021, 26.02.2021, 11.01.2022 एवं 10.05.22 को भूखण्ड संख्या 182 सालासर एनक्लेव के समस्त मूल रिकार्ड/लिखित जवाब सहित भूखण्ड की स्थिति स्पष्ट किये जाने बाबत पत्र जारी किया गया। भूखण्ड के संबंध में उप रजिस्ट्रार सहकारिता द्वारा सुनवाई किये जाने के पश्चात दिनांक 20.07.2022 को श्रीमती रूपा जैन एवं श्री तनवीर खान को राजस्थान सोसायटी अधिनियम–2001 की धारा 58 के तहत सक्षम अधिकारी को पंच निर्णय वाद प्रस्तुत कर निर्णय उपरांत भूखण्ड के संबंध में कार्यवाही किये जाने बाबत सूचित किया गया।

लीजधारक श्रीमती रूपा जैन को समस्त तथ्यों की जानकारी होने के पश्चात भी तथ्यों का छुपाते हुए पुनः जोन कार्यालय में प्रशासन शहरो के संग अभियान का लाभ उठाते हुए एवं कार्यालय को गुमराह कर दिनांक 13.09.2022 को लीजडीड प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया। जोन कार्यालय द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान में व्यस्तता के कारण प्रार्थी के आवेदन एवं प्रस्तुत मिथ्या तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर दिनांक 19.09.2022 को श्रीमती रूपा जैन द्वारा लीजडीड प्राप्त की गई।

पत्रावली के अनुसार भूखण्ड संख्या 182 सालासार एनक्लेव के स्वामित्व के संबंध में राजस्थान सोसायटी अधिनियम–2001 की धारा 58 के तहत सक्षम अधिकारी को पंच निर्णय आज दिनांक प्राप्त नहीं हुआ है।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

अतः श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना सालासर एनक्लेव के भूखण्ड संख्या 182 श्रीमती रूपा जैन के आवेदन पर दिनांक 13.09.2022 को प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर फ्री होल्ड पट्टा जारी किया गया, जिसके संबंध में लीजधारक द्वारा भूखण्ड के स्वामित्व का निर्धारण एवं उप रजिस्ट्रार सहकारिता द्वारा भूखण्ड संख्या 182 सालासर एनक्लेव के संबंध मे राजस्थान सोसायटी अधिनियम–2001 की धारा 58 के तहत सक्षम अधिकारी का पंच निर्णय भी प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रकरण के तथ्य छिपाकर फर्जकारी तरीके से मिथ्या तथ्यों के आधार जविप्रा कार्यालय से पत्रांक डी–1135 दिनांक 19.09.2022 फ्री होल्ड पट्टा प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के दौरान लीजधाकर श्रीमती रूपा जैन पत्नी श्री हंसराज जैन के नाम से जोन कार्यालय द्वारा मिथ्या तथ्यों/साक्ष्य प्रस्तुत कर जारी करवाये जाने एवं भूखण्ड के दोहरे आवंटन व आपत्तियों के कारण जविप्रा अधिनियम–1982 की धारा–54 (घ) में प्रदत शक्तियों के कम में श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना सालासार एनक्लेव के भूखण्ड संख्या 182 क्षेत्रफल 288.88 व.ग. श्रीमती रूपा जैन पत्नी श्री हंसराज जैन निवासी 60/162, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर को जारी आवासीय पट्टा विलेख पत्रांक 1135 दिनांक 19.09.2022 आज दिनांक 10.08.23 को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है तथा श्रीमती रूपा जैन को जरिये नोटिस सूचना दी जावे कि जविप्रा द्वारा जारी मूल पट्टा विलेख मूल लीजडीड का अन्यत्र उपयोग न कर इस कार्यालय में जमा करा दे। उभय पक्षकार उक्त भूखण्ड का स्वामित्व का निर्धारण माननीय न्यायालय द्वारा किये जाने के पश्चात चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

उपायुक्त
पृथ्वीराज नगर (दक्षिण–प्रथम),
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक जविप्रा/उपा./पीआरएन(दक्षिण–प्रथम)/2023/डी–1744 दिनांकः 10/08/23

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमती रूपा देवी जैन पत्नी श्री हंसराज जैन निवासी–60/162, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर को निर्णय की पालना हेतु।
2. श्री मन्ना लाल चौधरी पुत्र श्री नारायण लाल चौधरी निवासी–प्लाट नंबर सी–10, अशोक विहार, मान्यावास, मानसरोवर, जयपुर को सूचनार्थ।
3. जन संपर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त
पृथ्वीराज नगर (दक्षिण–प्रथम),
जविप्रा, जयपुर।

 सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

E:\arvind\LETTER 20223.docx

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः ( )जविप्रा/जोन–11/सैक्टर रोड़/2023/डी– 2338 दिनांकः 17/8/23

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 48 मीटर चौड़ी सड़क सैक्टर रोड़ में आ रही भूमि राजस्व ग्राम केश्यावाला, तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 936/352 कुल किता 1 कुल रकबा 0.19 हैक्ट. भूमि के बदले खातेदार श्रीमती संगीता अग्रवाल पत्नी श्री रामबाबू अग्रवाल, निवासी–एच–55, झकोरेश्वर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत् यदि कोई न्यायायिक प्रकरण/स्थगन/वाद–विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया उपायुक्त जोन–11 के कार्यालय में 7 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहे।

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा/उपा./जोन–11/2023/डी–2339 | दिनांक 17/8/23

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60 मीटर चौड़ी सडक सैक्टर रोड में आ रही भूमि राजस्व ग्राम **रेनवाल** तहसील **माधोराजपुरा** के खसरा नम्बर 1415, 1419, 1420/2, 1420/1, 1422, 1423, 1424 कुल किता 07 रकबा 9886.84 वर्गमीटर के खातेदार **श्री पवन पुत्र रामकरण, रामकरण पुत्र बिरदा, रामफूल देवी पत्नी रामकरण, विनोद पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी– ग्राम मान्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर** द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत् यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया उपायुक्त जोन–11 के कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102814 दिनांक: 17/08/2023

लोक सूचना

गोविन्द प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री प्रहलाद कुमार गोयल जाति महाजन निवासी–06, सत्यवती विहार कॉलोनी, गुलाब बाग, करौली।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **मिश्रित** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	मदाऊ सांगानेर (जयपुर)	गोविन्द प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री प्रहलाद कुमार गोयल जाति महाजन निवासी–06, सत्यवती विहार कॉलोनी, गुलाब बाग, करौली।	734 / 727	8574	0.8574
				कुल	**0.8574**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **17-08-2023** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन–11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

कमांकः जविप्रा / उपा. / जोन–7 / 2023 / डी– 1627 दिनांक 17/2/2023

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे / अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना /	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री प्रकाश अग्रवाल बहैसियत मु. आम सुजाता पुरी सिंह	सुजाता पुरी सिंह	ख. नं. 76, 77, 78 व 80 का भाग	भूखण्ड –ए 3182.5 व.मी.	निजी खातेदारी	ग्राम बीड़ खातीपुरा तह. व जिला जयपुर	एकल आवासीय फ्री होल्ड पट्टा	संपरिवर्तन आदेश, पी.टी. सर्वे, जमाबन्दी की प्रति
2	श्री प्रकाश अग्रवाल बहैसियत मु. आम दीया पुरी, माया बी पुरी व राहिल राय पुरी	दीया पुरी, माया बी पुरी व राहिल राय पुरी	ख. नं. 76, 77, 78 व 80 का भाग	भूखण्ड–बी 3182.5 व.मी.	निजी खातेदारी	ग्राम बीड़ खातीपुरा तह. व जिला जयपुर	एकल आवासीय फ्री होल्ड पट्टा	संपरिवर्तन आदेश, पी.टी. सर्वे, जमाबन्दी की प्रति

उपायुक्त, जोन– 7
जविप्रा, जयपुर।
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-7, जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपिः– जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के कम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन– 7
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष (0141–2560165) : ईपीबीएक्स–0141–2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141–257455

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102733 | दिनांक: 17/08/2023

लोक सूचना

मैसर्स मारिका फुडस् प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री अनिल गुप्ता पुत्र श्री चन्द्रमोहन गुप्ता, टी–1, रघुश्री अपार्टमेन्ट, सवाई मानसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **औद्योगिक** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	बगरूकंला सांगानेर (जयपुर)	मैसर्स मारिका फुडस् प्रा. लि. टी–1, रघुश्री अपार्टमेन्ट, सवाई मानसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर।	2856/1	8500	0.85
			2861/1	2600	0.26
			2872	10100	1.01
				कुल	**2.12**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **17-08-2023** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन–11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपा./पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय)/2023/डी–1327 दिनाक– 17.8.2023

–ःआम सूचनाः–

मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना– कीर्ति सागर जे ब्लॉक का आवंटन/नियमन कराने हेतु कीर्ति सागर विकास समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया है, **जो ग्राम–मांग्यावास, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर** के अग्रलिखित खसरा नम्बरों के सम्पूर्ण/आंशिक भाग पर सृजित है।

क्र. स.	ग्राम/तहसील	खसरा नं.	रकबा	सम्पूर्ण/आंशिक	वर्तमान खातेदार का नाम
1.	ग्राम–मांग्यावास तहसील–सांगानेर	409/1 410	1.06 1.86	आंशिक आंशिक	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
कुल		**2**	**2.92 हैक्टेयर में से योजना मानचित्रानुसार**		

उक्त योजना में स्थित भूखण्डधारियों की सूची निम्नलिखित है–

क्र.सं.	प्लांट सं.	नाम	वर्ग गज
1.	1	टीकम बैद पुत्र श्री राजकुमार बैद	432.77
2.	1 ए	फतेह चन्द कोटेचा पुत्र श्री मिलाप चन्द	432.77
3.	2	मंजु देवी कोटेचा पत्नी श्री फतेह चन्द	432.77
4.	2 ए	राजकुमार बैद पुत्र श्री लूण करण बैद	432.77
5.	3	झुमरमल पुत्र श्री भोमराज	527.77
6.	3 ए	कुसुम तातेड पुत्री श्री माती लाल तातेड	527.77
7.	4	निर्मला रावत पत्नी श्री बच्चन सिंह रावत	1055.55
8.	5	पन्नालाल बागडोदिया पुत्र श्री मेघराज	611.11
9.	5 ए	गीता बागडोदिया पत्नी श्री पन्ना लाल	444.44
10.	6	नवलकिशोर गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश	611.11
11.	6 ए	बीना चौधरी पत्नी श्री महेश चौधरी	444.44
12.	7	इन्द्र चन्द गेमावत पुत्र श्री पुखराज गेमावत	611.11
13.	7 ए	उपेन्द्र सिंह पुत्र श्री माती सिंह	444.44
14.	8	अरूणा कुमारी पत्नी श्री कुशल कुमार	611.11
15.	8 ए	कुशल कुमार पुत्र श्री शांति लाल रांका	222.22
16.	8 बी	अरूणा कुमारी पत्नी श्री कुशल कुमार	222.22
17.	9	पुष्पा देवी पत्नी श्री आर. आर. जांगीड	611.11
18.	9 ए	रामेश्वर दयाल पुत्र श्री हजारी लाल	444.44
19.	10	रसीदा बानो पत्नी श्री इब्राहीम खांन	450.00
20.	10 ए	पार्वती देवी जांगीड पत्नी कन्हैया लाल	605.55
21.	11	सुरेन्द्र खुडीया पुत्र श्री चांद मल खुडीया	416.66
22.	11 ए	अरूण शर्मा पुत्र श्री गणपत शर्मा	434.44
23.	11 बी	कैलाश शर्मा पुत्र श्री नानूराम शर्मा	434.44

24.	12	प्रदीप चौधरी पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह	416.66
25.	12 ए	रमेश शर्मा पुत्र श्री नानूराम शर्मा	408.88
26.	13	मदन कुमार शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद	222.30
27.	13 ए	नन्द लाल शर्मा पुत्र श्री शिवसहाय शर्मा	146.44
28.	14	गोकुल सिंह चौधरी पुत्र श्री महाबक्श	145.00
29.	15	स्वेता माथुर पुत्री श्री रमेश चन्द माथुर	229.23
30.	16	पुष्पा खण्डेलवाल पत्नी श्री चन्द्र प्रकाश	350.00

उक्त योजना– कीर्ति सागर जे ब्लॉक ग्राम–मांग्यावास तहसील सांगानेर का आवंटन/नियमन शिविर दिनांक 23.08.2023 को लगाया जाना नियत है।

अतः योजना क्षेत्र में आने वाले खसरा नम्बर एवं भूखण्डधारियो की सूची से सम्बन्धित, अगर किसी खातेदार/हितधारक/भूखण्डधारी/व्यक्ति/संस्था व अन्य किसी को आपत्ति हो तो, कैम्प दिवस या 7 दिवस (जो भी कम हो) में कार्यालय पृथ्वीराज नगर (दक्षिण–द्वितीय), इन्द्र पथ सेक्टर–12, सामुदायिक केन्द्र, मानसरोवर, जयपुर में अपनी आपत्ति मय दस्तावेजों, गवाह साक्ष्य आदि एवं आपत्ति के समर्थन में स्वंय की पहचान के प्रमाण सहित प्रस्तुत करे अन्यथा उक्त खसरा नम्बर में स्थित भूमि में विकसित आवासीय ब्लॉक की उक्त सूची के आधार पर नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/आवंटन/ निमयन की कार्यवाही कर दी जायेगी। योजना मानचित्र एवं सदस्यता सूची जविप्रा की वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

उपायुक्त,
जोन पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा / उपा. / पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय) / 2023 / डी– 1327 दिनांक– 17.8.2023

–:आम सूचना:–

मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना– कीर्ति सागर जे ब्लॉक का आवंटन / नियमन कराने हेतु कीर्ति सागर विकास समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया है, **जो ग्राम–मांग्यावास, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर** के अग्रलिखित खसरा नम्बरों के सम्पूर्ण / आंशिक भाग पर सृजित है।

क्र. स.	ग्राम / तहसील	खसरा नं.	रकबा	सम्पूर्ण / आंशिक	वर्तमान खातेदार का नाम
1.	ग्राम–मांग्यावास तहसील–सांगानेर	409 / 1 410	1.06 1.86	आंशिक आंशिक	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
कुल		**2**	**2.92 हैक्टेयर में से योजना मानचित्रानुसार**		

उक्त योजना में स्थित भूखण्डधारियों की सूची निम्नलिखित है–

क्र.सं.	प्लाट सं.	नाम	वर्ग गज
1.	1	टीकम बैद पुत्र श्री राजकुमार बैद	432.77
2.	1 ए	फतेह चन्द कोटेचा पुत्र श्री मिलाप चन्द	432.77
3.	2	मंजु देवी कोटेचा पत्नी श्री फतेह चन्द	432.77
4.	2 ए	राजकुमार बैद पुत्र श्री लूण करण बैद	432.77
5.	3	झुमरमल पुत्र श्री भोमराज	527.77
6.	3 ए	कुसुम तातेड पुत्री श्री माती लाल तातेड	527.77
7.	4	निर्मला रावत पत्नी श्री बच्चन सिंह रावत	1055.55
8.	5	पन्नालाल बागडोदिया पुत्र श्री मेघराज	611.11
9.	5 ए	गीता बागडोदिया पत्नी श्री पन्ना लाल	444.44
10.	6	नवलकिशोर गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश	611.11
11.	6 ए	बीना चौधरी पत्नी श्री महेश चौधरी	444.44
12.	7	इन्द्र चन्द गेमावत पुत्र श्री पुखराज गेमावत	611.11
13.	7 ए	उपेन्द्र सिंह पुत्र श्री माती सिंह	444.44
14.	8	अरूणा कुमारी पत्नी श्री कुशल कुमार	611.11
15.	8 ए	कुशल कुमार पुत्र श्री शांति लाल रांका	222.22
16.	8 बी	अरूणा कुमारी पत्नी श्री कुशल कुमार	222.22
17.	9	पुष्पा देवी पत्नी श्री आर. आर. जांगीड	611.11
18.	9 ए	रामेश्वर दयाल पुत्र श्री हजारी लाल	444.44
19.	10	रसीदा बानो पत्नी श्री इब्राहीम खांन	450.00
20.	10 ए	पार्वती देवी जांगीड पत्नी कन्हैया लाल	605.55
21.	11	सुरेन्द्र खुडीया पुत्र श्री चांद मल खुडीया	416.66
22.	11 ए	अरूण शर्मा पुत्र श्री गणपत शर्मा	434.44
23.	11 बी	कैलाश शर्मा पुत्र श्री नानूराम शर्मा	434.44

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

24.	12	प्रदीप चौधरी पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह	416.66
25.	12 ए	रमेश शर्मा पुत्र श्री नानूराम शर्मा	408.88
26.	13	मदन कुमार शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद	222.30
27.	13 ए	नन्द लाल शर्मा पुत्र श्री शिवसहाय शर्मा	146.44
28.	14	गोकुल सिंह चौधरी पुत्र श्री महाबक्श	145.00
29.	15	स्वेता माथुर पुत्री श्री रमेश चन्द माथुर	229.23
30.	16	पुष्पा खण्डेलवाल पत्नी श्री चन्द्र प्रकाश	350.00

उक्त योजना– कीर्ति सागर जे ब्लॉक ग्राम–मांग्यावास तहसील सांगानेर का आवंटन/नियमन शिविर दिनांक 23.08.2023 को लगाया जाना नियत है।

अतः योजना क्षेत्र में आने वाले खसरा नम्बर एवं भूखण्डधारियो की सूची से सम्बन्धित, अगर किसी खातेदार/हितधारक/भूखण्डधारी/व्यक्ति/संस्था व अन्य किसी को आपत्ति हो तो, कैम्प दिवस या 7 दिवस (जो भी कम हो) में कार्यालय पृथ्वीराज नगर (दक्षिण–द्वितीय), इन्द्र पथ सेक्टर–12, सामुदायिक केन्द्र, मानसरोवर, जयपुर में अपनी आपत्ति मय दस्तावेजों, गवाह साक्ष्य आदि एवं आपत्ति के समर्थन में स्वंय की पहचान के प्रमाण सहित प्रस्तुत करे अन्यथा उक्त खसरा नम्बर में स्थित भूमि में विकसित आवासीय ब्लॉक की उक्त सूची के आधार पर नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/आवंटन/ निमयन की कार्यवाही कर दी जायेगी। योजना मानचित्र एवं सदस्यता सूची जविप्रा की वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

ह०
उपायुक्त,
जोन पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. अतिरिक्त आयुक्त, पी.आर.एन. जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का प्रकाशन दैनिक भास्कर अथवा राजस्थान पत्रिका के साथ एक अन्य दैनिक समाचार पत्र में कराने का श्रम करें। कृपया उपायुक्त पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय), जविप्रा को कैम्प दिनांक से पूर्व विज्ञप्ति की राशि से अवगत करावें। जिससे आवंटन की राशि के साथ यह राशि योजना के भूखण्डधारियों से प्राप्त कर सकें।

उपायुक्त,
जोन पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020
दूरभाष - {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स - +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : LU2012/JDA/2023-24/102810 दिनांक : 17/08/2023

लोक सूचना

मैसर्स सूर्यांश बॉदर्स जरिये पार्टनर करण चौधरी एवं गोपाल चौधरी निवासी पंजीकृत कार्यालय 109, फस्ट फ्लोर, गांधी पथ वेस्ट, माँ हिंगलाज नगर, जयपुर राज. ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)
1.	ग्राम बिन्दायका तहसील जयपुर	करण चौधरी व गोपाल चौधरी पुत्र सूरज चौधरी	925/764	0.0706
			931/780	0.3242
			768/534	0.0379
			781/534	0.1012
			908/757	0.0252
			910/767	0.0506
			912/773	0.1518
			906/534	0.0885
			कुल किता 08	0.8500

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 17-08-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302 004
दूरभाष 191-141 2574798 ईपीबीएक्स 191 141-2569696 एक्स.: 8340 फैक्स 191-141 2574555
e-mail:

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक LU2012/JDA/2023-24/102809 दिनांक 17/08/2023

लोक सूचना

श्रीमती गीतासिंह देव पत्नि श्री ओमप्रकाश मीणा निवासी एच–47, टैगोर पथ कलेक्ट्रेट के पास, बनीपार्क, जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)
1.	ग्राम बिन्दायका तहसील जयपुर	गीतासिंह देव पत्नि ओ.पी. मीणा हिस्सा पूर्ण जाति मीणा सा. बनीपार्क खातेदार	916/364	0.8220 में से 0.0500
			कुल किता 01	0.8220 में से 0.0500

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 17-08-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302 004
दूरभाष +91 141 2574798 ईपीबीएक्स +91 141 2569696 एक्सटे. 8340 फैक्स +91 141 2574555
e-mail:

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः— जविप्रा/उपा./जोन—11/2023/डी—2336 दिनांक 17/8/23

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60 मीटर चौड़ी सडक सैक्टर रोड में आ रही भूमि राजस्व ग्राम रेनवाल तहसील माधोराजपुरा के खसरा नम्बर 1418 रकबा 0.3794 हैक्ट. के खातेदार **श्री हनुमान पुत्र पांचूराम जाति जाट निवासी ग्राम रेनवाल, तहसील माधोराजपुरा** द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत् यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया उपायुक्त जोन—11 के कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।